

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

॥ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी ॥

मंगलवार 24 जुलाई, 2001 / श्रावण 2, 1923 ॥ शक ॥

संख्या : 158

सदस्यों को नजरबन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को थाना चाणक्य पुरी, दिल्ली, का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :-

" मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य सर्व श्री जगदीश मुखी, राम भज, जय भगवान, सुशील चौधरी, मोहन सिंह बिष्ट, नरेश गोड़ व पूरण चन्द योगी को 24.07.2001 को 1200 बजे दिल्ली पुलिस के अधिनियम 1978 की धारा-65 के अंतर्गत पुलिस के विधि सम्मत निर्देशों को अवज्ञा करने के कारण नजरबन्द किया गया ।

उन्हे वही से उसी दिन अर्थात् 24.07.2001 को 1210 बजे रिहा कर दिया गया । "

एस.के.शर्मा  
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT  
BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)  
Tuesday, 24th July, 2001/ Sh-ravana 2, 1923(Saka)

No.158

DETENTION AND RELEASE OF MEMNERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi was received from P.S. Chankaya Puri, N. Delhi.

" I have the honour to inform you that S/Sh. Jagdish Mukhi, Ram Bhaj, Jai Bhagwan, Sushil Choudhary, Mohan Singh Bisht, Naresh Gaur, & Puran Chand Yogi, MLAs were detained u/s 65 of Delhi Police Act 1978 for disobeying the law, direction of Police at 12.00 Hrs on 24th July, 2001.

They were released at 1210 Hrs. from the same place on the same day i.e. 24.7.2001."

S.K. SHARMA  
SECRETARY